21/09/2021

पत्रावली कैम्प कोर्ट जालौर मे पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उप0 होकर के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2020 के आदेश को स्थगित किया गया है। जबकि यह आदेश पत्रावली दर्ज करने का है कोई आदेश नही है। तथा 32 पक्षकार है परन्तु एक भी नकल साथ नही आई है। पत्रावली पूर्ण नही है। लिहाजा स्थगन खारीज किया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जबाव पेश करके बहस की। वकील ने दौरान बहस अवगत करवाया कि अपीलांट के पिता को उक्त वादग्रस्त आराजी दिनांक 30.03.1978 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन निरस्त के समय अन्य भूमि देने की निर्णय में उल्लेख किया गया था किन्तु अपीलांट व अपीलांट के पिता को भूमि आवंटन नही की गई। यह भूमि अनुसुचित जाति के व्यक्ति को आवंटित हुई थी पुनः अनुसुचित जाति के व्यक्ति को ही आवंटन की जानी चाहिए थी लेकिन स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम से गलत रूप से आवंटन की जो कि धारा 42, 46(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन है तथा राज्य सरकार के नियमों के तहत पुनः भूमि आवंटन नही की गई है। तथा भूमि पर आवंटन के दिन से ही लगातार कब्जा, काश्त अपीलांट प्रार्थी का ही चलता आ रहा है। जिससे स्थगन आदेश को निरस्त करना न्यायोचित नही है। अपीलांट अभिभाषक ने दौरान बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को अपील की प्रति दी जा चुकी है। तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जालोर के निर्णय दिनांक 24.10.1978 अपील नम्बर 141/1978 के अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के यहा विचाराधीन है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। इस अपील में विचार कने पर यह प्रश्न उभर कर के आया है कि प्रार्थी अपीलांट एक गरीब अनुसुचित जाति वर्ग से है। तथा भूमिहीन है जिसकों आजिविका का एक मात्र साधन खेती बाड़ी है। पूर्व के समय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने नियम 14/4 रूल्स(1)राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) अधिनियम 1970 के तहत प्रार्थी अपीलांट के पिता के कृषि भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया जबकि उक्त आवंटन गरीब अनुसुचित जाति वर्ग के सदस्य को अन्त्योदय योजना के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अन्तर्गत किया गया था। जो कि राज्य सरकार की निति के तहत किया गया था। तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्णय एवं आदेश जो कि सरकार को भिजवाये गये थे उनमे भी यह उल्लेख किया गया था कि प्रभावित कृषक को अन्य भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा। उक्त मामला पूर्णतः (Compensation) क्षतिपूर्ति का बनता है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को गरीब अनुसुचित जाति के व्यक्ति के प्रति दया एवं उदारता बरतते हुए उसी भूमि के समकक्ष की भूमि का आवंटन राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेकर के किया जाना ही इस प्रकरण में वास्तविक न्याय (Justice) होगा ऐसे मामलो में पूर्ण संवेदनशीलता रखकर के कार्यवाही की जानी चाहिए (Actual) वास्तविक कार्यवाही नही होने के कारण प्रार्थी को अनावश्यक दर–दर भटकना पड़ रहा है। तथा गरीब होते हुए भी मुकदमें बाजी में फंसा हुआ है। तथा जबकि धारा 14/4 में आवंटन के निरस्त होने पर निरस्त किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जोधुपर के यहा अपील विचाराधीन है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट के साथ न्याय होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। क्योंकि उसका हक इसलिए बनता है कि उक्त आवंटन गरीब अनुसुचित जाति अन्त्योदय परिवार के सदस्य कों अपने पेट को पालने के लिए किया गया था किन्तु इसमे दोष प्रतिपक्षी गणों का भी नही है। उन्हे और कही आवंटन किया जाना चाहिए था अन्त्योदय परिवारों को आवंटित विवादास्पद भूमि पर आवंटन नही किया जाना चाहिए था जो कि तत्समय हो गया, यदि किया भी गया तो उन्हें तत्समय ही क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य समकक्ष भूमि देनी चाहिए थी। जिसका की इस प्रश्नगत प्रकरण में अभाव है जब तक इस अन्तयोदय परिवार को अन्यत्र क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन जालौर की जिम्मेदारी है कि प्रार्थी को कृषि भूमि आवंटन नही कर देता है तब तक वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार बदलाव एवं परिवर्तन नही किया जावे। किन्तु प्रतिपक्षीगणों की बहस सुन कर के न्यायालय हाजा न्यायालय की आड़ में किसी प्रकार की बारगेनिग को रोकने के लिए यह न्यायिक राहत देना उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार पक्षकारो एवं सहहिस्सेदारो के मध्य बंटवारा करने तक की हद के लिए न्यायहित मे शिथिलन प्रदान की जाती है। एवं यदि अपीलांट का वास्तविकरूप से कब्जा प्रश्नगत भूमि पर हो तो बेदखल नही करे। उक्त आदेश की प्रति सहायक कलेक्टर, आहोर एवं तहसीलदार, आहोर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली